संक्षेप में

सेल का शुद्ध लाभ हुआ दोगुने से अधिक

सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में दोगुने से अधिक होकर 1,644.05 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से खर्च में कमी आने से कंपनी का लाभ बढ़ा है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले साल की इसी तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 744.58 करोड़ रुपये था। सेल की कुल आय आलोच्य तिमाही में बढ़कर 26,451.21 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी तिमाही में 26,083.90 करोड़ रुपये थी। वहीं, खर्च 24,146.32 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 25,189.19 करोड़ रुपये था। सेल ने एक अलग बयान में कहा कि उसका कच्चा इस्पात उत्पादन घटकर 47.6 लाख टन रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 48.5 लाख टन था। सेल के चेयरमैन अशोक कुमार पांडा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, घरेलू इस्पात उद्योग ने मजबूती दिखाई है, जिसकी वजह घरेलू इस्पात की लगातार मांग रही है। *भाषा*

बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 36 फीसदी बढ़ा

बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 36.23 प्रतिशत बढ़कर 3,068 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 2,252 करोड़ रुपये था। बेहतर परिचालन आय और प्रावधान संबंधित खर्च में कमी से बैंक को मदद मिली। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के 3,016 करोड़ रुपये के मुकाबले शुद्ध लाभ में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। *बीएस*

सवाल जवाब

आईपीओ से कर्ज मुक्त हो सकती है मणिपाल हेल्थ : दिलीप जोस

अपने 9,200 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के तहत नए निर्गम के जरिये 8,000 करोड़ रुपये जुटा रही मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का कर्ज शेयर बाजार में सूचीबद्धता के बाद खत्म हो सकता है। इस अस्पताल श्रृंखला की योजना तीन वर्षों के दौरान धीरे-धीरे 3,000 बेड जोड़ने की है। साथ ही यह सह्याद्रि हॉस्पिटल्स को जोड़ेगी तथा केरल, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अवसर तलाशेगी। सोहिनी दास के साथ बातचीत में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी दिलीप जोस ने आईपीओ से होने वाली आय, विस्तार, अधिग्रहण के बाद बदलावों और प्रौद्योगिकी निवेश पर चर्चा की। प्रमुख अंश ...

यह आईपीओ काफी हद तक प्राथमिक निर्गम है। इसमें कितना पैसा आएगा और कैसे इसका इस्तेमाल होगा?
इस 9,200 करोड़ रुपये की पेशकश में से 8,000 करोड़ रुपये का नया निर्गम है और यह पैसा कंपनी में आएगा। इसका उपयोग ऋण चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों में किया जाएगा। इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा है, जो मौजूदा निवेशकों की निकासी सीमित होगी।

मौजूदा शेयरधारक इतनी कम बिक्री क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें बाद में अधिक मूल्यांकन की उम्मीद है?
टेमासेक मणिपाल को अपना स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म मानती है और एक बैलेंस-शीट निवेशक के रूप में उसके पास फंड-रिटर्न की कोई समयसीमा नहीं है। टीपीजी का फंड सात या आठ साल रह सकता है, जबकि रंजन पई प्रवर्तक हैं। किसी भी प्रमुख शेयरधारक को बाहर निकलने की जल्दी नहीं है। यह सीमित ओएफएस इस आईपीओ को उन निर्गम से अलहता करता है जिनमें बड़े स्तर पर निकासी होती है। इसमें अधिकांश आय कंपनी को जाती है। इससे हमारे लिए आने वाले निवेशकों के लिए मूल्य छोड़ने की भी गुंजाइश होती है।

टेमासेक की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। क्या इससे नियंत्रण, मतदान अधिकार या निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव आएगा?
नहीं। टेमासेक की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से घटकर लगभग 44 प्रतिशत रह जाएगी, जबकि प्रवर्तक समूह की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत से घटकर करीब 62 प्रतिशत रह जाएगी। नौ सदस्यों वाले निदेशक मंडल और प्रशासनिक संरचना में बदलाव नहीं होगा। निदेशक मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशक, टेमासेक के दो मनोनीत, मणिपाल समूह और टीपीजी से एक-एक मनोनीत तथा प्रबंधन के दो प्रतिनिधि, अध्यक्ष और मैं शामिल होंगे।

आपके ऋण का मौजूदा स्तर क्या है और आप किस लेवरेज को लक्ष्य बना रहे हैं?
31 मार्च, 2026 तक हमारे पास लगभग 10,553 करोड़ रुपये की सकल उधारी और 2,969 करोड़ रुपये नकद तथा तरल निवेश था। इसका अर्थ है कि शुद्ध ऋण- लीज देनदारियों को छोड़ दें तो -लगभग 7,585 करोड़ रुपये था। 8,000 करोड़ रुपये के नए निर्गम के साथ हम सैद्धांतिक रूप से शून्य शुद्ध कर्ज वाले हो सकते हैं। हम आईपीओ से रकम मिलने के बाद ऋण चुकाने का स्तर तय करेंगे। हो सकता है कि हम सह्याद्रि से जुड़ा कर्ज चुका दें, लेकिन दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए कुछ कर्ज या नकद अपने पास बनाए रखें। अगर कुछ कर्ज रह भी जाता है, तो भी लेवरेज बहुत कम रहेगा। हमने केरल और हैदराबाद में अपनी दिलचस्पी के बारे में बात की है।

अगले तीन वर्षों में आप कितने बेड जोड़ेंगे और कहां जोड़ेंगे?
हमारे पास लगभग 13,000 बेड हैं। तीन वर्षों में 3,000 और बेड जोड़ने की योजना है। ये सभी मौजूदा क्षमता विस्तार में जोड़े जाएंगे। इनमें मुंबई में जुहू, रायपुर, पुणे और बेंगलूरु शामिल हैं। अधिकांश अतिरिक्त क्षमता दक्षिण भारत के बाहर होगी। कोलकाता में हमारे पांच अस्पतालों में लगभग 1,550 बेड हैं। एक और अस्पताल के लिए, राजारहाट में एम्स के साथ मिली जमीन है। शहर में अंततः लगभग 2,000 बेड हो सकते हैं। पुणे में हमारे पास सह्याद्रि सहित लगभग 1,300 बेड हैं। नई बाकड अस्पताल इकाई 475 बेड जोड़ेगी, जबकि सह्याद्रि की कुछ चिकित्सा इकाइयों तथा एक मौजूदा मणिपाल अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है।

मणिपाल हेल्थ लाएगी सबसे बड़ा हेल्थकेयर आईपीओ

अंजलि सिंह
मुंबई, 24 जुलाई

मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज 29 जुलाई को निर्गम के आकार के लिहाज से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश करने जा रहा है। कंपनी प्रति शेयर 560 से 590 रुपये के प्राइस बैंड पर करीब 9,275.22 करोड़ रुपये जुटाना चाह रही है।

टेमासेक के निवेश वाली इस अस्पताल श्रृंखला का मूल्यांकन प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर लगभग 77,607 करोड़ रुपये के आसपास होगा। यह निर्गम 31 जुलाई को बंद होगा। एंकर निवेशक 28 जुलाई को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में लगभग 8,000 करोड़ रुपये के नए शेयर और 2.161 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है, जिनका मूल्य ऊपरी छोर पर 1,275.22 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तक ईंपेरियस हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट्स और मणिपाल एजुकेशन ऐंड मेडिकल ग्रुप इंडिया अन्य निवेशकों जैसे टीपीजी एसजी मैगजीन, सेवेंटी सेकंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, अम्मार एसडीएन बीएचडी, नोवो होल्डिंग्स इन्वेस्ट एशिया और फीनिक्स बेयर इन्वेस्टमेंट्स के साथ ओएफएस के जरिये शेयर बेचेंगे।

नए निर्गम से जुटाई गई राशि में से 5,552.8 करोड़ रुपये सहायक कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल्स के उधार और अर्जित ब्याज चुकाने या पूर्व-भुगतान करने में इस्तेमाल किए जाएंगे।

574 करोड़ रुपये की अन्य राशि सहायक कंपनी सह्याद्रि हॉस्पिटल्स में अल्पांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लगाई जाएगी। शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों में किया जाएगा।

मारुति की नजर एसयूवी बिक्री पर

मारुति सुजूकी का लक्ष्य वित्त वर्ष 27 में एसयूवी की बिक्री में सालाना 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करना है। कंपनी को उम्मीद है कि नई ब्रेजा, हाल में पेश हुए नए मॉडलों और खरखौदा संयंत्र में अतिरिक्त उत्पादन से उसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 26 में मारुति ने 5.22 लाख से अधिक एसयूवी बेची थीं। 25-30 फीसदी की वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 2027 में कंपनी की एसयूवी बिक्री का आंकड़ा लगभग 6.53 लाख से 6.79 लाख वाहन तक पहुंच जाएगा। मारुति सुजूकी इंडिया के वरिष्ठ कार्याधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इस साल एसयूवी सेगमेंट में हमारी वृद्धि 25 से 30 फीसदी के बीच रहेगी। हम बड़ी वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह सिर्फ नए मॉडलों पर ही नहीं, बल्कि विक्टोरिस और हमारे बनाए गए ब्रांडों के कॉम्बिनेशन पर आधारित होगी।' कंपनी ने शुक्रवार को नई ब्रेजा पेश की, जिसमें कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एस-सीएनजी ऑप्शन। *बीएस*

हिंदुस्तान जिंक को दोगुने से ज्यादा लाभ

दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादकों में शुमार वेदांत की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने जून में समाप्त पहली तिमाही के दौरान 5,469 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 2,234 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में दोगुना से भी अधिक है।

कंपनी ने इस वृद्धि का श्रेय धातु की अधिक कीमतों, धातु उत्पादन में वृद्धि, लेड कन्सेंट्रेट की बिक्री, सह-उत्पादों से अधिक आमदनी और डॉलर की मजबूती को दिया है। जून तिमाही के दौरान कुल आय भी 74 प्रतिशत बढ़कर 14,063 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 8,050 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बयान में कहा, 'इस जोरदार वित्तीय प्रदर्शन का आधार किसी भी पहली तिमाही में अब तक का सर्वाधिक 268 हजार टन खनन धातु उत्पादन और जस्ते की प्रति टन 851 डॉलर की अब तक की सबसे कम तिमाही उत्पादन लागत रही है। इससे निरंतर परिचालन उत्कृष्टता, अनुशासित लागत प्रबंधन और उद्योग की अग्रणी प्रतिस्पर्धी क्षमता जाहिर होती है।'

एचजेडएल ने बताया कि रॉयल्टी को छोड़कर तिमाही के दौरान जस्ता उत्पादन लागत प्रति टन 851 लागत रही। यह खनन की गई सामग्री के बेहतर स्तर, अधिक धातु उत्पादन, अक्षय ऊर्जा की खपत में वृद्धि और सह-उत्पादों से अधिक प्राप्ति के कारण 16 प्रतिशत अधिक रही। *बीएस*

ऑरिफ्लेम अपना विनिर्माण परिचालन अकुम्स ड्रग्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स को बेचेगी

शार्लीन डिसूजा
मुंबई, 24 जुलाई

स्वीडन के सौंदर्य और स्वास्थ्य सुरक्षा ब्रांड ऑरिफ्लेम ने भारत में विनिर्माण का अपना काम प्योर ऐंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित करने के लिए समझौता किया है। ऑरिफ्लेम ने आज यह ऐलान किया। प्योर ऐंड क्योर हेल्थकेयर, अकुम्स ड्रग्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वह ठेके पर दवा विकास और विनिर्माण (सीडीएमओ) करने वाली भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है।

इस सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। प्रस्तावित सौदे में उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑरिफ्लेम इंडिया की विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं। यह सौदा समापन की सामान्य शर्तों और नियामक की स्वीकृतियों के अधीन है। इस समझौते के तहत ऑरिफ्लेम और अकुम्स दीर्घकालिक रणनीतिक विनिर्माण और आपूर्ति साझेदारी करेंगी। अकुम्स ऑरिफ्लेम के उत्पादों को बनाना जारी रखेगी। इससे आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी और ऑरिफ्लेम ब्यूटी एंटरप्रेन्योर्स तथा ग्राहकों की अपेक्षित गुणवत्ता के ऊंचे मानकों को बरकरार रखा जाएगा।

ऑरिफ्लेम ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, 'भारत ऑरिफ्लेम के लिए रणनीतिक रूप से अहम बाजार बना हुआ है। कंपनी ने 30 से अधिक वर्षों से देश में काम किया है और वह देश भर में ब्यूटी एंटरप्रेन्योर्स के अपने नेटवर्क के जरिये उपभोक्ताओं की सेवा करते हुए अपना तेजी से बढ़ता सोशल सेलिंग कारोबार जारी रखेगी।' यह सौदा ऑरिफ्लेम के अपने वैश्विक परिचालन और सोर्सिंग फुटप्रिंट को बेहतर करने के प्रयासों का हिस्सा है।

ऑरिफ्लेम की मुख्य कार्य अधिकारी और अध्यक्ष अन्ना मैलमहाके ने कहा, 'भारत ऑरिफ्लेम के लिए अहम बाजार है। हम देश में विकास की अपनी दीर्घकालिक महत्त्वाकांक्षाओं को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अकुम्स के साथ इस रणनीतिक साझेदारी के जरिये हम उच्च-गुणवत्ता वाली विनिर्माण क्षमताओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही परिचालन की मजबूती को बढ़ा रहे हैं।'

एसीसी का लाभ सालाना आधार पर 61% घटा

प्राची पिसाल
मुंबई, 24 जुलाई

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में सीमेंट निर्माता कंपनी एसीसी का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 60.90 प्रतिशत घटकर 147 करोड़ रुपये रह गया।

कंपनी ने कहा कि मुनाफे पर बिक्री, राजस्व और मार्जिन में कमी के अलावा बड़ी एकीकृत इकाइयों के योजनाबद्ध रखरखाव और पैतृक कंपनी अंबुजा सीमेंट (अदाणी समूह का हिस्सा) के साथ मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट (एमएसए) के तहत ज्यादा आपूर्ति का असर दिखा। कंपनी का तिमाही राजस्व (परिचालन से) सालाना आधार पर 8.22 प्रतिशत घटकर 5,808 करोड़ रुपये रह गया। एसीसी ने समीक्षाधीन तिमाही के दौरान अपने कुल खर्च में भी 3.35 प्रतिशत की कमी दर्ज की, जिससे यह 5,639 करोड़ रुपये रहा।

अंबुजा के साथ ज्यादा एमएसए की वजह से एसीसी की बिक्री भी सालाना आधार पर 6.54 फीसदी घटकर 1 करोड़ टन रह गई। तिमाही के लिए कंपनी की एबिटा पूर्व परिचालन आय 457 करोड़ रुपये रही, जो सालाना आधार पर 41.33 प्रतिशत कम है।

SHRIRAM Finance
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
प्लॉट नंबर 48, पूजा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, ज़ोन-II, एमपी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462011
रजिस्टर्ड ऑफिस: श्रीटावर्स, प्लॉटनंबर 14A, साउथफ़ेज़, इंडस्ट्रियलएस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600032, तमिलनाडु, फ़ोन: 914448524666.वेबसाइट: www.shriramfinance.in.
कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशननंबर (CIN) L65191TN1979PLC007874.

मांग सूचना

सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 ("एक्ट") की धारा 13(2) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3(1) के तहत, नीचे हस्ताक्षर करनेवाला व्यक्ति श्रीरामफाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)का अधिकृत अधिकारी है।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत अधिकार प्राप्त हैं। इस एक्ट की धारा 13 (12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने एक्ट की धारा 13 (2) के तहत एक डिमांड नोटिस जारी किया है। इसमें नीचे बताए गए उधारकर्ताओं से कहा गया है कि वे उन्हें जारी किए गए डिमांड नोटिस में बताई गई रकम (जो नीचे भी दीगई है) चुकाएं। इस संबंध में, उधारकर्ताओं को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के छपने के 60 दिनोंके भीतर श्रीरामफाइनेंस लिमिटेड को नीचे बताई गई रकम चुकाएं। साथही, डिमांडनोटिसमेंबताएगएतरीकेसे, नीचे दीगई तारीखोंसे लेकर भुगतान और/ या वसूली की तारीख तक का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। यह रकम लोन एग्रीमेंट और उधार कर्ताओंद्वारा किए गए अन्य दस्तावेजों/लिखतोंके तहत देय है।
ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित संपत्ति को संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा श्रीरामफाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास बंधक (Mortgaged) रखा गया है।

क्र.सं.	उधारकर्ता / जमानती का नाम (शाखा का नाम)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सुरक्षित संपत्तिका विवरण (अचल संपत्ति)
1	**उधार लेने वाला:** **१) श्री सत्येन्द्र धाकड़ पुत्र श्री जगदीश धाकड़** पता:- वार्ड क्र. 3 जेल कॉलोनी कोलारस शिवपुरी (म.प्र.)-४७३५५१ **सह उधारकर्ता:** **२) श्रीमती वर्षा धाकड़ पुत्री श्री सत्येन्द्र धाकड़** पता:- वार्ड क्र. 3 जेल कॉलोनी कोलारस शिवपुरी (म.प्र.)-४७३५५१ **3) श्री अमर धाकड़ पुत्र श्री बहादुर धाकड़** पता:- ग्राम रतिकिरार, पोस्ट राजा की मुढेरी कोलारस, शिवपुरी (म.प्र.)47377 **शाखा: शिवपुरी** **ऋण संख्या: CDSHITF2201270018**	**09/06/2026** रुपये **23,36,507/-** (तेईस लाख छत्तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपये मात्र)	अचल संपत्ति, यानी 750 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली ज़मीन का वह टुकड़ा और उस पर बना निर्माण, जिस का विवरण इस प्रकार है: P.H. 33, सर्वे नंबर - 39/3, प्रॉपर्टी नंबर - 497, वार्ड नंबर - 1, संत फार्म, गाँव - जगतपुर, तहसील - कोलारस और ज़िला - शिवपुरी (म.प्र.) **इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:** **पूर्व दिशा की ओर-** श्री लोकेन्द्र और मनीष हरिचरणलाल गुप्ता की ज़मीन **पश्चिम दिशा की ओर-** सड़क **दक्षिण दिशा की ओर -** श्री लोकेन्द्र और मनीष हरिचरणलाल गुप्ता की ज़मीन **उत्तर दिशा की ओर -** श्री लोकेन्द्र और मनीष हरिचरणलाल गुप्ता की ज़मीन

तारीख: 09/06/2026
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्राधिकृतअधिकारी

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Indian Bank** (A Govt. of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD

परिशिष्ट– IV
नियम, 8 (1)
कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्तियों हेतु)
मेसर्स गणपतिशक्ति स्मेल्टर्स प्रा. लि.
(टीएल खाता– 50446857499, ओसीसी खाता– 50447059067 एवं जीईसीएलएस खाता– 7124552065)
शाखा– दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा , लखनऊ

अधोहस्ताक्षरी, जो कि **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 13 (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के नियम 8 एवं 9 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.04.2025 को मांग नोटिस जारी किया था। **ऋणी 1. मेसर्स गणपतिशक्ति स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी कंपनी), 2. श्री गणेश चंद्र त्रिपाठी (निदेशक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता), 3. श्री विशाल त्रिपाठी (निदेशक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता), 4. श्री प्रशांत त्रिपाठी (निदेशक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता), 5. श्री हर्ष वर्धन दीक्षित (निदेशक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता), 6. श्रीमती मंजू त्रिपाठी (निदेशक), 7. श्री राजवर्धन दीक्षित (जमानतकर्ता/बंधककर्ता), 8. मेसर्स सरल उद्योग (जमानतकर्ता/बंधककर्ता),** से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि **रु. 9,23,50,971/– (रुपये नौ करोड़ तेईस लाख पचास हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) दिनांक 04.04.2025 तक तथा दिनांक 05.04.2025 से ब्याज़ व अन्य खर्चे** चुकता करने को कहा गया था।
ऋणी/बन्धककर्ता/जमानतकर्ता एवं जन साधारण को यह सूचित किया जाता है कि उन ऋणी/बन्धककर्ता/जमानतकर्ता जिन्होंने बकाया रकम चुकता नहीं किया, के परिसम्पत्तियों का जिनका विवरण निम्न है, अधोहस्ताक्षरी के उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित नियम 8 व 9 के तहत दिनांक 23 जुलाई 2026 को कब्जा ले लिया है। विशेषतः सम्पत्ति के स्वामी एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का सौदा / संव्यवहार न करें, सम्पत्ति के संबंध में किया गया संव्यवहार इंडियन बैंक को देय राशि **रु. 8,22,36,581/– (रुपये आठ करोड़ बाईस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ इक्यासी मात्र) दिनांक 22.07.2026 तक तथा दिनांक 23.07.2026 से ब्याज़ व अन्य खर्चे** के अध्याधीन होगा।
हम सरफेसी के अधिनियम की धारा 13 (8) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमो के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से सम्बन्धित है।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

1) भूमि का संपूर्ण भाग एवं उस पर निर्मित भवन, जिसकी पहचान निम्नलिखित रूप में है–मकान स. 1, मजरा खेड़ा, बैरी अकबरपुर बांगर, कानपुर नगर, **क्षेत्रफल 470 वर्ग मीटर, श्री प्रशांत त्रिपाठी के नाम पर।**
चौहद्दी–: पूर्वः 30 फीट सड़क, **पश्चिमः** 10 फीट सड़क, **उत्तरः** तिवारी जी का मकान सं. 2, **दक्षिणः** रैदास का मकान सं. 18 एवं गौतम का मकान सं. 17, तत्पश्चात सर्विस लेन।
नोट–: इस नोटिस के जारी होने के साथ दिनांक 05.07.2025 का कब्जा नोटिस वापस लिया जाता है।
2) सभी भाग व हिस्से प्लॉट संख्या ए–3/20, औद्योगिक क्षेत्र, गांधारी, तहसील एवं जिला दतिया (म.प्र.), **क्षेत्रफल 1112.10 वर्ग मीटर, मेसर्स सरल उद्योग के नाम पर, अपने साझेदारों श्री प्रशांत त्रिपाठी एवं श्री विशाल त्रिपाठी के माध्यम से।**
चौहद्दी–: पूर्वः औद्योगिक क्षेत्र की सड़क, **पश्चिमः** निजी भूमि, **उत्तरः** प्लॉट संख्या ए–3/21, **दक्षिणः** प्लॉट संख्या ए–3/19।
नोट–: इस नोटिस के जारी होने के साथ दिनांक 04.07.2025 का कब्जा नोटिस वापस लिया जाता है।
3) भूमि का संपूर्ण भाग एवं उस पर निर्मित भवन, जिसकी पहचान निम्नलिखित रूप में है–मकान सं. जेस्पर–01, मॉड्यूल सी, प्लॉट सी–01, एल्डेको काउंटी, मौजा बिजौली, ब्लॉक बबीना, परगना एवं जिला झांसी, **क्षेत्रफल 208.28 वर्ग मीटर, श्री राजवर्धन दीक्षित एवं श्री हर्ष वर्धन दीक्षित के नाम पर।**
चौहद्दी–: पूर्वः 9 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़क, **पश्चिमः** कंपनी की चारदीवारी, **उत्तरः** जेस्पर यूनिट संख्या 02, **दक्षिणः** 9 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़क।
नोट–: इस नोटिस के जारी होने के साथ दिनांक 04.07.2025 का कब्जा नोटिस वापस लिया जाता है।
4) सभी भाग व हिस्से फैक्टरी, भूमि व भवन स्थित आराजी संख्या 542/1, 544/2, 545/1, 546, 547/1, 547/2, 548, 549, 550, 551, 541/787, 560/2, मौजा–गांधारी, तहसील एवं जिला–दतिया (म.प्र.), **क्षेत्रफल 1.40 हेक्टेयर, श्री गणेश चंद्र त्रिपाठी, श्री विशाल त्रिपाठी, श्री प्रशांत त्रिपाठी एवं श्री हर्ष वर्धन दीक्षित के नाम पर।**
चौहद्दी–: पूर्वः सरल उद्योग (प्लॉट संख्या ए–3/20), **पश्चिमः** श्री पुन्नू की भूमि, **उत्तरः** सरकारी भूमि, **दक्षिणः** श्री रघुवीर की भूमि।
नोट–: इस नोटिस के जारी होने के साथ दिनांक 04.07.2025 का कब्जा नोटिस वापस लिया जाता है।
दिनांकः 23.07.2026 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैक

बैंक ऑफ़ इंडिया
आंचलिक कार्यालयः
भोपाल अंचल बैंक ऑफ इंडिया भवन,
जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 0755-2556770, 2555169
E-mail: bhopal.assetrecovery@bankofindia.co.in

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **11.08.2026** को **बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नानुसार है। नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म के वेबपोर्टल **http://BAANKNET.com** पर संपन्न होगी।

ऋणी एवं संपत्ति मालिक/जमानतदार का नाम मांग नोटिस, राशि दिनांक एवं कब्जा दिनांक	बंधक रखी संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति के बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि
भोपाल रिकवरी शाखा, भोपाल, फोन : 8975728625, 9752153767, E-mail: bplrecovery.bhopal@bankofindia.co.in Account to deposit auction sale proceeds- 902990200000033, IFSC- BKID0009029		
ऋणी-1. **मेसर्स जे.पी. पाईप्स इण्डस्ट्रीज** **फैक्टरी का पताः** प्लॉट नंबर 21, सेक्टर 1/ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम उमरिया डुंगरिया, फेस-2, तहसील शाहपुरा जिला-जबलपुर (म.प्र.)-482003 **पार्टनर्स एवं जमानतदारः (1) श्री दुर्गेश विश्वकर्मा पुत्र स्व. परमहंस विश्वकर्मा (2) श्रीमती मनीषा विश्वकर्मा पत्नि दुर्गेश विश्वकर्मा** **जमानतदार : श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा** **सभी का पता पताः** म.नं. 462, बीजासेन माता मंदिर के सामने, सुहागी अधारताल जबलपुर (म.प्र.) जिला-जबलपुर (म.प्र.)-482004 जमानतदार : **श्री रंजीत परमहंस विश्वकर्मा,** फ्लैट नं. 20, प्लॉट नं-68, गंगा निकेतन, हाउसिंग सोसाइटी, स्पाइन रोड, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के पास, सेक्टर नं-06, संत नगर, मोशी प्राधिकरण, आलंदी ग्रामीण, पुणे, आलंदी देवाची, महाराष्ट्र (412105) **मांग सूचना राशिः ₹ 1,70,11,394.94/-** + देय ब्याज एवं खर्चे **मांग सूचना दिनांक : 04.06.2025** **कब्जा दिनांक : 20.08.2025** (सांकेतिक)	**पंजीकृत बंधक संपत्ति स्थित प्लाट नं. 8 एवं 11, खसरा नं. 21/1 एवं 22/2 का भाग म्यूटेशन के पश्चात खसरा नं. 22/15 एन.बी. 426, पी.एच. नं. 20, मौजा-सुहागी बीजासेन माता मंदिर के सामने, संत रविदास वार्ड क्रमांक 77, जबलपुर (म.प्र.)। कुल प्लॉट क्षेत्रफल-2430 वर्गफीट (225.83 वर्ग मीटर)** संपत्ति मालिक- 1.जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा 2. रंजीत प्रसाद विश्वकर्मा 3. दुर्गेश प्रसाद विश्वकर्मा चर्तुसीमाएँः पूर्वः राजेश ठाकुर का प्लॉट, पश्चिमः चौड़ी सड़क, उत्तरः बीजासेन माता मंदिर, दक्षिणः मिश्राजी का प्लॉट	₹ **60,69,000/-** ₹ **6,06,900/-** ₹ **10,000/-**

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : दिनांक 11.08.2026, को सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

ई-नीलामी की शर्ते :-
(1) ई-नीलामी /बिडिंग ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग'' के माध्यम से ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर वेबसाइट **http://BAANKNET.com** पर की जावेगी। इच्छुक निविदाकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व वेबसाइट में नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त करें।
(2) संपत्ति का निरीक्षण दिनांक **10.08.2026** को या उससे पहले सुबह 10 से सायं 5 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।
(3) बिक्री की पुष्टि होने होने पर सफल खरीदार को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमे ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम शामिल हैं) तुरंत जमा करानी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन के अंदर ऊपर दिये गए शाखा के अकाउंट नंबर मे जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा मे राशि जमा न करने की स्थिति मे बोलिकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जायगी।
(4) बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर शुरू होगी।
(5) यदि संपत्ति की विक्रय राशि रु. 50 लाख (रुपये पचास लाख) या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1% टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी।
(6) सफल खरीददार को संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं/ असांविधिक देयताएं/ स्टाम्प ड्यूटी / अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ ट्रांसफर शुल्क / सभी शुल्क / असेसमेंट चार्जेस / अन्य प्रभार जिसमें पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर, लागू टीडीएस इत्यादि व्ययों का भुगतान करना होगा।
(7) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने / निरस्त अथवा ई-नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
(8) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त वर्णित दूरभाष क्र. पर संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करेंः अथवा अंचल कार्यालय, भोपाल फोन : 0755-2556770 / 2555169 से संपर्क करें।
नोट - यह नोटिस प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत ई-नीलामी आयोजित करने हेतु उक्त ऋणी / उधारकर्ता / जमानतदारों को 15 दिवसीय विक्रय सूचना भी है।
स्थान : भोपाल, दिनांक : 25.07.2026 प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

भोपाल संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा पृथ्वीस दास, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\आरएनआई नं. MPHIN/2008/24603 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं